RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

ग्रामीण महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

स्वाती सुपुत्री सुरेन्द्र कुमार

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 13 March2019

Keywords
'घरेलू हिंसा' सामाजिक समस्या.

***Corresponding Author**
Email: swatimalik271[at]gmail.com

ABSTRACT

भारत गाँवों का देश है। गाँवों में निवास करने वाले अधिकतर ग्रामीण अभाव में जीते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा एक आम बात है। महिलाओं के विरूद्ध 'घरेलू हिंसा' एक गंभीर सामाजिक समस्या है। घरेलू हिंसा कानून – 2005 के राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किए जाने के बावजूद घरेलू हिंसा के प्रकरणों में निरंतर वृद्धि होती है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का अध्ययन करने के लिए हमने रोहतक जिले का ब्राह्मणवास ग्राम का चयन 'सुविधापूर्ण निर्देशन पद्धति के द्वारा किया गया है। जिसमें शामिल 40 औरतों का साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन से पता चला कि अधिकतर ग्रामीण महिलाओं के साथ हिंसा उनके पतियों द्वारा की जाती है एवं हिंसा होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत कम है। जबकि अपने मायके वालों को बताने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। हिंसा होने पर परिजनों द्वारा समझौता ही कराया जाता है। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती।

1. Introduction

महिलाएँ प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिनकी स्थिति पुरुषों के समान ही होती है। भारत में पत्नी के रूप में महिला की स्थिति सदैव उच्च रही है एवं उसे 'गृहलक्ष्मी' की संज्ञा दी गई है। यहाँ पत्नी के अभाव में पति द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों को निष्फल माना गया है। पत्नी के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक हिंसा की घटनाएँ भी कई बार सुनने को मिलती हैं। पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ गाली–गलौच करने, चोट पहुँचाने एवं उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा से आशय एक परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार करना या उसे शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुँचाना है। घरेलू हिंसा परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो सकती है। परंतु प्रायः महिलाएँ ही इसका शिकार होती है। यह महिला की मजबूरी है कि वह सामाजिक लोकलाज, बच्चों के प्रति अपनी ममता एंव जिम्मेदारी के कारण सबकुछ बर्दाश्त करती है। वर्तमान समय में महिलाओं के शिक्षित होने एवं अनेक महिला विकास योजनाओं के कारण ये स्वयं के साथ हुए किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएँ अपने साथ हुई घरेलू हिंसा के खिलाफ कुछ बोलने से कतराती है। परिवार का निजी मामला मानते हुए इसे किसी के समक्ष बाहर नहीं आने देती और चुपचाप सबकुछ सहन करती रहती है। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि सरकार ने उनके कल्याण और प्रगति के लिए क्या–क्या योजनाएँ चला रखी है। लड़ने और संघर्ष करने की शक्ति ग्रामीण महिलाओं में अभी भी बहुत कम है। इसलिए वे घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठती।

2. Review of literature

भारत में प्रत्येक 33 मिनट में महिलाओं के प्रति एक अपराध की घटना होती है। जिनमें से घरेलू हिंसा एक मुख्य अपराध है। पहल ने अपने अध्ययन में बताया कि पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को चाकुओं से गोदा गया, फर्नीचर फेंक कर मारा गया। सीढ़ियों से गिराया गया और कुछ महिलाओं के तो पैरों में कीलें भी ठोंगी गई।

International Centre for Research on Women नाम की संस्था ने तो यहाँ तक भी कहा है कि घरेलू हिंसा के कारण जितनी औरतों की मौत होती है उतनी मौतें तो कैंसर से भी नहीं होती।

Tata Institute of social science तथा पुलिस कमिश्नर बॉम्बे द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्थापित सेल के आँकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि महिलाएँ घरेलू हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट तभी लिखवाती हैं जब उन्हें परिवार के किसी सदस्य की सहमति प्राप्त हो। इसमें भी वे देरी, समय और खर्च, परिवार की धमकियों, दबाव आदि के कारण आरोप वापस ले लेती हैं एवं समझौता कर लेती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (2014) के आँकड़ों के अनुसार पति और संबंधियों द्वारा महिलाओं के साथ की जाने वाली क्रूरता में 7.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

'फुलर थॉमसन' ने अपने अध्याय में कहा कि "घरेलू हिंसा' के कारण बच्चों में दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम आने का खतरा रहता है। यह स्थिति तब भी होती है जब बच्चों के साथ किसी अन्य प्रकार का दुर्व्यहार न हुआ हो। अतः स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा से केवल स्त्री ही प्रभावित नहीं होती बल्कि इसका बुरा असर बच्चों के कोमल मन पर भी पड़ता है।"

राम आहूजा के अध्ययन के अनुसार पत्नी को पीटे जाने के साथ–साथ 13.7 प्रतिशत मामलों में नशा तथा 68.3 प्रतिशत मामलों में नशा नहीं था। अतः तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकतर मामलों में घरेलू हिंसा के कारणों में नशा सम्मिलित नहीं था।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

आश्चर्य की बात है कि महिलाएँ अपने साथ होती हिंसा को स्वीकार करने योग्य मानती हैं। उन्हें पति की गलती नहीं बल्कि अपनी गलती मानती हैं।

दूसरी तरफ अपनी पत्नियों को पीटने वाले पतियों का मानना है कि वे अपनी पत्नियों को नहीं पीटना चाहते हैं। परन्तु पत्नियाँ ही उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करती हैं। पत्नियाँ स्वयं ऐसा व्यवहार करती हैं कि पतियों को गाली व पिटाई करनी पड़ती है। वे घरेलू कार्यों को ठीक से नहीं करती, उनकी बात नहीं मानती, व्यर्थ में बड़बड़ाती हैं, आदि।

अतः इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में न केवल अधिकतर पुरुष बल्कि महिलाएँ स्वयं इस प्रकार की हिंसा को तर्कसंगत, वैध व न्यायोचित ठहराती हैं।

3. Objectives of the study

1. घरेलू हिंसा के प्रति पीड़ितों एवं उनके प्रति परिवार के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना।

4. Methodology

प्रस्तुत अध्ययन हरियाणा के रोहतक जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम ब्राह्मणवास का किया गया है। तथ्यों के संकलन के लिए 'साक्षात्कार अनूसूची' व 'अवलोकन पद्धति' का चयन किया गया है। अध्ययन के लिए 40 औरतों का साक्षात्कार 'डोर टू डोर' सर्वे द्वारा लिया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों के रूप में पत्र–पत्रिका, शोध–पत्रिका, मैगजीन, समाचार–पत्र एवं इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

सारणी संख्या 1

शोषण के प्रकार के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

शोषण का प्रकार	*संख्या*	*प्रतिशत*
मानसिक शोषण	20	50:
शारीरिक शोषण	12	30:
यौन शोषण	08	20:
योग	40	100:

प्रस्तुत सारणी 1 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 50 प्रतिशत महिलाएँ मानसिक शोषण की शिकार, 30 प्रतिशत महिलाएँ शारीरिक शोषण, 20 प्रतिशत यौन शोषण की शिकार हैं। अतः तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि मानसिक शोषण की शिकार महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा महिला के साथ गाली–गलौज, व्यंग्यात्मक टिप्पणी एवं बेटी के जन्म पर कोसना आदि शामिल हैं।

सारणी संख्या 2

परिवार के सदस्यों द्वारा किए बुरे व्यवहार के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

बुरा व्यवहार कौन–कौन करता है?	*संख्या*	*प्रतिशत*
पति	14	35:
सास–ससुर	10	25:
जेठ–जेठानी	08	20:
अन्य	08	20:
योग	40	100:

प्रस्तुत सारणी संख्या 2 के आधार पर कहा जा सकता है कि 35 प्रतिशत महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा करने वाले उनके पति हैं, 25 प्रतिशत सास–ससुर द्वारा, 20 प्रतिशत जेठ–जेठानी द्वारा 20 प्रतिशत अन्यों द्वारा की गई थी। अतः तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादातर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा उनके पतियों द्वारा की जाती है।

सारणी संख्या 3

परिवार में होने वाली हिंसा के आधार पर उत्तरदात्रियों का वर्गीकरण

घरेलू हिंसा कब–कब होती है?	*संख्या*	*प्रतिशत*
लगातार होती है	15	37.5:
कभी–कभी होती है	25	62.5:
योग	40	100:

सारणी संख्या 3 के आधार पर कहा जा सकता है कि 62.5 प्रतिशत महिलाओं के साथ हिंसा कभी–कभी होती है; 37.5 प्रतिशत महिलाओं के साथ हिंसा लगातार होती रहती है। अतः तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जरूर होती है चाहे वह कभी–कभी ही क्यों न होती हो।

सारणी संख्या 4

घरेलू हिंसा होने पर क्या करती है।

क्या करती है	*संख्या*	*प्रतिशत*
मायके वालों को बताती है	14	35:
सहेलियों को बताती है	10	25:
पुलिस में शिकायत करती हैं	06	15:
किसी को कुछ नहीं बताती	10	25:
योग	40	100:

सारणी संख्या 4 के आधार पर कहा जा सकता है कि 35 प्रतिशत महिलाएँ अपने साथ बुरा व्यवहार होने पर मायके वालों को बताती है, 25 प्रतिशत महिलाएं अपनी सहेलियों को बताती हैं, 15 प्रतिशत महिलाएं पुलिस में शिकायत करती हैं एवं 25 प्रतिशत महिलाएं किसी को कुछ नहीं बताती। अतः तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकतर महिलाएँ अपने साथ घरेलू हिंसा होने पर अपने सायके वालों को बताती हैं। जिसमें से अधिकतर मामलों में समझौता ही कराया जाता है।

सारणी 5

क्या आप अपने ऊपर हो रही हिंसा की शिकायत कर सकती है।

हिंसा की शिकायता कर सकती है।	*संख्या*	*प्रतिशत*
हाँ	05	12.5:
नहीं	35	87.5:
योग	40	100:

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सारणी 5 के आधार पर कहा जा सकता है कि 87.5 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ हैं, जो अपने साथ हुई हिंसा की शिकायत नहीं कर सकती। जबकि 12.5 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ हैं जो अपने साथ हुई हिंसा की शिकायत कर सकती है; अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने साथ हो रहे बुरे व्यवहार की पुलिस में शिकायत न कर सकने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है।

5. Conclusion

तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा के प्रति महिलाओं एवं परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई खास बदलाव नहीं आया है। आज भी अधिकतर महिलाएँ अपने साथ होती घरेलू हिंसा को चुपचाप बर्दाशत करती है एवं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती।

अध्ययन से पता चला है कि अधिकतर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा उनके पतियों द्वारा होती है। पति द्वारा पीटे जाने को अधिकतर महिलाओं द्वारा उचित माना गया है। पति भी अपनी पत्नियों को पीटने के लिए महिलाओं के बुरे बर्ताव, जिम्मेदारी न निभाना, बात न मानना आदि कारणों को उत्तरदायी ठहराते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर परिवारों में कभी–कभी घरेलू हिंसा होती है। ऐसा कोई घर या परिवार नहीं है। जहाँ महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा न हुई हो। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा कितनी व्यापक है।

घरेलू हिंसा होने पर महिलाएँ इसके बारे में अपने मायके वालों या फिर सहेलियों को बताती है। वह भी तब जब हिंसा की अति हो गई हो। मायके वालों द्वारा भी कोई ठोस कदम न उठाकर समझौता करा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वही हिंसा फिर शुरू हो जाती है एवं यही क्रम चलता रहता है जिसमें दिन–प्रतिदिन महिला घुटती रहती है। शिक्षित होते हुए भी अपने साथ होते हुए बुरे बर्ताव को बर्दाशत करती है एवं पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाती। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम है। पुलिस में शिकायत दर्ज न करवाने का एक पहलू यह भी है कि घरेलू हिंसा होने पर समाज द्वारा महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है एवं ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिला को अत्यंत सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है, जिसे अधिकतर महिलाओं में सहन करने की हिम्मत नहीं होती एवं इसे ही अपना भाग्य मानकर पूरी जिन्दगी चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है।

घरेलू हिंसा अधिनियम

सरकार ने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया। इस अधिनियम का लक्ष्य परिवार के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार महिला को संरक्षण प्रदान करना है। इस अधिनियम के दायरे में शामिल है जो एक ही छत के नीचे आरोपी के साथ रह रहे हैं और उनसे संगोत्रता, विवाह या विवाह संबंधियें द्वारा जुड़े हैं। इस अधिनियम में व्यवस्था है:–

विवाह परिवार या साझा आवास में रहने देने का अधिकतर चाहे उसके पास आवास आदेश जारी कर आवास में रहने का अधिकार शामिल हो या न हो।

संरक्षण आदेश जारी कर के पीड़िता के कार्यस्थल या वह जिस स्थान पर प्रायः जाती है, वहाँ आरोपी का प्रवेश निषेध करना, पीड़िता से आरोपी की बातचीत पर रोक लगाना, दोनों पक्षों द्वारा प्रयुक्त उन परिसंपत्तियों से पीड़िता को अलग करने पर रोक लगाना, पीड़िता के घरेलू हिंसा से बचाने में उसकी मदद करने वाले संबंधियों को सुरक्षा प्रदान करना।

पीड़िता के किसी बच्चे या बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा प्रतिवादी द्वारा संरक्षण या आदेश का उल्लंघन, गैर जमानती का अपराध है जिसके लिए एक वर्ष की कैद या 20,000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है।

उपरोक्त कानूनी अधिनियम में शामिल किए गए महिलाओं के अधिकरों का ग्रामीण महिलाओं को ज्ञान नहीं है एवं जिन्हें है वह भी सामाजिक लोक–लाज की चिंता में घरेलू हिंसा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ–साथ समाज के सदस्यों की इस बर्बरता के पीछे के विचारों एवं कारणों का पता लगाकर उनमें मनोसामाजिक परिवर्तन करने के लिए अभियान चलाने चाहिए। केवल तभी समाज से ये दाग हमेशा के लिए मिट सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1. आहूजा राम, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1987
2. क्राइम ब्यूरो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन, नई दिल्ली, रिपोर्ट 2000
3. टाटा इंन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एण्ड रिपोर्ट ऑफ स्पेशल सेल बॉम्बे पुलिस कमिश्नर, 2011
4. नए कानून सन् 2015, शरद चंद मिश्रता एवं राजेश त्रिपाठी, पृ. 10
5. शर्मा डी.डी., गुप्ता एम.एल., समाजशास्त्र, 2015, साहित्य भवन, आगरा
6- https://www.rachnakar.org
7- https://m.prabhasakshi.com
8- www.hindinews.in

RRIJM 2015, All Rights Reserved